


फर्द अहकाम

नाम न्यायालय Act

कल्ली देवी बनाम शिलोक चन्द

केस संख्या Ti-47/19

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	9/11/20	<p>पत्रावली मूलवाह के अनुकरण में आज्ञा दिनांक को निम्न पेशी से पूर्व पेशी पर ली गई। प्रार्थना/वाहिया का मूलवाह विज्ञा से खारिज किया जा चुका है। प्रार्थना पर अन्वयि निषेधार्थ मूलवाह का ही आग्रह है। प्राणिका Ti को अकेले खरापे जाने का कोई मौचित्य नहीं है। अतः मूलवाह के अनुकरण में प्रार्थना का प्रार्थना पर अन्वयि निषेधार्थ विज्ञा से खारिज किया जाना है। पत्रावली जैवल शुमार टोकर दर्ज निषेध से कम होकर बंलग्न मूलवाह रहे। पत्रावली में निर्णय आज्ञा दिनांक 9/11/20 को लिखा जा कर नरे खलाफ चुना जा रहा।</p>	 <p>डा. कल्ली देवी उद्देश्य कर्ता 9/11/20 विषय उमा शर्मा</p> <p>सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय</p>